संख्या-38/2499 ई-2/तेरह-2014-216/90

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर,2014

विषय:- अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर को अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-34/नौ-2014-15/अ0नि0/714/देश के बाहर, दिनांक 02 दिसम्बर,2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 दिसम्बर,2014 में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को 200(दो सौ लाख) बल्क लीटर ई0एन0ए0/अब्सल्यूट अल्कोहल देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि प्रदेश के बाहर से शीरे का आयात किया जाता है तो तत्समय आसवक की मांग और शीरे के वार्षिक उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने पर देश के बाहर अल्कोहल के निर्यात की अनुमति पर पुन: तद्नुसार विचार किया जा सकता है। उक्त निर्यात मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत् ही होगा।

तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/asp/intra